राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3794/2025

राजेन्द्र प्रसाद मीना **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
3. सुनील कुमार सिंघल, ब्लॉक प्राइमरी शिक्षा अधिकारी एवं मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रथम कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ब्लॉक, जिला सवाईमाधोपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 06.08.2025
आदेश की दिनांक : 19.08.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सलीम खान, अभिभाषक

समक्ष :– पूनम दरगन, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता कथन है यह कि अपीलार्थी वर्तमान में प्रधानाचार्य के पद पर एसीबीईओ–I, खंडार जिला सवाईमाधोपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 03.08.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय निंबुआ, जालौर में निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 को समंजित करने के उद्देश्य से 600 कि.मी. दूर किया गया है। अपीलार्थी को आलोच्य आदेश में टी.ए.डी.ए. दिया गया है, जबकि अपीलार्थी द्वारा स्थानान्तरण के संबंध में कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। वर्तमान में जिला सवाई माधोपुर में प्रधानाचार्य के पद रिक्त है, उसके बावजूद भी विभाग द्वारा मनमानी करते हुए अपीलार्थी का स्थानान्तरण दूरस्थ स्थान पर किया गया है (अनुलग्नक–2)। अपीलार्थी के माता–पिता भी काफी वृद्ध है। जिनकी देखभाल की समस्त जिम्मेदारियां अपीलार्थी पर ही निर्भर करती है। उनकी देखभाल करने वाला भी अन्य कोई व्यक्ति नहीं है (अनुलग्नक–3)। उक्त आलोच्य आदेश प्रतिबंध अवधि के दौरान जारी किया है तथा राज्य सरकार द्वारा स्पष्ट रूप से यह निर्देशित किया गया है कि किसी भी कार्मिक का पदस्थापन/एपीओ आदेश माननीय मुख्यमंत्री की समहति के पश्चात् ही जारी किया जायेगा। लेकिन विभाग द्वारा उक्त आलोच्य आदेश में सक्षम स्तर से किसी भी तरह का अनुमोदन नहीं लिया गया है तथा बिना अनुमोदन के ही आलोच्य आदेश पारित किया गया है, जो उचित नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर

प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 03.08.2025 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावें एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को प्रधानाचार्य के पद पर एसीबीईओ–1 खंडार सवाईमाधोपुर में ही यथावत् पदस्थापित रखा जावे तथा वेतन का आहरण भी वर्तमान पदस्थापित स्थान से करवाया जावे।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अधिकारों को त्यागते हुये यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

5. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए, अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में एक आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(पूनम दरगन)
सदस्य(न्यायिक)